यह निरीक्षण प्रतिवेदन **जिला खनन अधिकारी, नई टिहरी** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

जिला खनन अधिकारी, नई टिहरी के माह 04/2017से 03/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्रीमती रेखा(स.ले.प.अ.) श्री बृज भूषण मणि त्रिपाठी (स.ले.प.अ.) श्री एस.एस. दरियाल(स.ले.प.अ.) द्वारा दिनांक18-05-18 से 26-05-18 तक श्री पी. के. गुप्ता, लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **(1)परिचयात्मकः**इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री डी0के0श्रीवास्तव एवं श्री कलवंत सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 19-01-2018 से 27-01-2018 तक श्री नवीनचन्द्र शंखधर, लेखा परीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण मे सम्पादित की गयी थी। जिसमे राजस्व हेतु माह 04/2012 से 03/2017 तक लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा मे माह 04/2017 से 03/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः-** सम्पूर्ण जनपद नई टिहरी
3. (ii) (अ)**राजस्व विवरण**

विगतवर्षोमेकार्यालय द्वाराअर्जितराजस्वकाब्यौरानिम्नवत्है

वर्ष	अर्जितराजस्व (रू लाख में)
2015-16	649.35
2016-17	944.67
2017-18	1302.08

(ii)(ब) बजटकाविवरण:-विगतवर्षोंमेंबजटआबंटनएवंव्ययकीस्थितिनिम्नवतहैः(`लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिकअवशेष		स्थापना		गैरस्थापना		आधिक्य (+)`	बचत (-)`
	स्थापना `	गैरस्थापना`	आवंटन`	व्यय`	आवंटन`	व्यय`		
शुन्य								

(स) केन्द्रपुरोनिधानितयोजनाओंकेअन्तर्गतप्राप्तनिधिएवंव्ययविवरणनिम्नवतहैः

वर्ष	योजनाकानाम	प्रारम्भिकअवशेष`	प्राप्त`	व्ययअधिक्य(+)`	बचत(-) `
शून्य					

(iii)इकाई को बजट आवंटन: शासन से मुख्यालय को, मुख्यालय से डी0डी0 ओ0 द्वारा सभी जनपदों को किया जाता है|गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए राजस्व प्राप्ति के आधार पर इकाई A श्रेणी की है।

(iv)विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

सचिव-अपर सचिव-निदेशक- अपर निदेशक- संयुक्त निदेशक–उपनिदेशक(भूवैज्ञानिक/ज्येष्ठ खान अधिकारी)- खान अधिकारी/सहायक भूवैज्ञानिक- सर्वेक्षक

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षामें **जिला खान अधिकारी, नई टिहरी** को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **जिला खनन अधिकारी, नई टिहरी** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(vi)**विस्तृतजांचहेतुमाहकाचयन**:-

राजस्व: माह 03/18 को विस्तृत जांच (राजस्व) हेतु चयनित किया गया।

व्यय: माह...................कोविस्तृतजांच(व्यय) हेतुचयनितकियागया।

(vii) योजनाकाचयन :-लागू नहीं ।

(Viii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डीपीसी एक्ट, 1971) की धारा 16 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

राजस्व की लेखा परीक्षा

भाग 2 (अ)

प्रस्तर:-1 निर्माण कार्यों में अवैध उपखनिज के प्रयोग पर अर्थदण्ड का अनारोपण ₹ 35.65 करोड़।

"उत्तराखण्ड उपखनिज (बालू, बजरी, बोल्डर) चुगान नीति, 30 सितम्बर 2016 के उपबन्ध 23 (2) के अनुसार सरकारी निर्माण इकाइयों जैसे लोक निर्माण विभाग, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, डी0जी0बी0आर0 (ग्रेफ), सिंचाई विभाग आदि द्वारा सड़क, पहुँच मार्ग आदि बनाए जाने के दौरान निर्माण स्थल से निकलने वाले बोल्डर, पत्थर, बजरी आदि को निर्माण कार्य में उपयोग हेतु निर्माण आगणन (Estimate) की जाँच/निरीक्षण व मूल्यांकन उपजिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जनपद स्तरीय समिति (जिला खान अधिकारी, सदस्य सचिव) से कराते हुये उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली,2001 के नियम 68 के अंतर्गत नियम 72 को शिथिल करते हुये नियमानुसार अनुज्ञा पत्र संबन्धित जिलाधिकारी के द्वारा अल्प अवधि हेतु स्वीकृत किया जाएगा।

सरकारी निर्माण कार्य हेतु उपखनिज के उपयोग से पूर्व आवेदन खनन अनुज्ञा अथवा खनन पट्टा हेतु निर्धारित प्रारूप MM-8/MM-1 तथा तदनुसार आवेदन शुल्क क्रमश: अल्प अवधि हेतु अनुज्ञा शुल्क **₹** 5000 व चुगान पट्टे हेतु **₹** 100000/-निर्धारित लेखा शीर्षक में जमा कराते हुये आवेदन पत्र जिलाधिकारी को प्रस्तुत करना होगा तांकि नियमानुसार खनन अनुज्ञा पत्र अथवा खनन पट्टा स्वीकृत किया जा सके।

कार्यालय जिला खान अधिकारी, नई टिहरी की लेखा परीक्षा के दौरान अभिलेखो की जांच में पाया गया कि निर्माण इकाइयों के द्वारा वर्ष 2017-18 में एक भी अनुज्ञा पत्र एवं खनन पट्टा हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया था। जबकि 16 निर्माण इकाइयों के द्वारा रॉयल्टी के रूप में **₹** 8,91,32,323/-जमा किया गया था (विवरण पत्र संलग्न)। यदि उक्तानुसार अनुज्ञा पत्र और पट्टा स्वीकृत की जाती तो आवेदन शुल्क के रूप में राजस्व प्राप्त होता, लेकिन विभाग के द्वारा नीति के प्रावधानों के अनुसार कोई कार्यवाही न किए जाने के कारण उपखनिजो का अवैध खनन, कर निर्माण कार्यो में प्रयुक्त किया गया था, जिससे राजस्व की हानि हुई। प्रदेशांतर्गत किसी भी प्रकार का उप खनिज बिना अनुज्ञा पत्र /पट्टा के खनन नहीं किया जा सकता है लेकिन निर्माण इकाइयों के द्वारा बिना उल्लिखित प्रपत्रों के ही उपखनिजों का खनन कर निर्माण कार्यो में प्रयुक्त किया गया और रॉयल्टी जमा किया गया,

जिस पर उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण का निवारण) नियमावली, 2005 के संशोधन दिनांक 13 नवंबर,2016 के अनुसार अवैध उत्खनित खनिज / परिवहन की जा रही उपखनिज की मात्रा पर रॉयल्टी का पाँच गुणा अर्थदण्ड आरोपित कर वसूल किये जाने का प्रावधान था। जिला नई टिहरी की निर्माण इकाइयों के द्वारा वर्ष 2017-18 में बिना अनुज्ञा/ पट्टा के निर्माण कार्यो में प्रयुक्त की गई उपखनिजों के सापेक्ष कुल **₹** 8,91,32,323/- रॉयल्टी (सूची संलग्न) जमा किया गया था, नियमानुसार इस रायल्टी का पाँच गुणा अर्थदण्ड आरोपित कर वसूला जाना था, किन्तु खनन विभाग द्वारा अर्थदण्ड आरोपित न किये जाने के कारण शासन को **₹** 35,65,29,292/- (89132323x5**=**445661615**-**89132323) के राजस्व की क्षति हुई

विभाग के संज्ञान में लाये जाने पर विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में कोई भी उत्तर प्रेषित नहीं किया गया।

अत: विभाग के द्वारा नियमावली/नीति के अनुसार कार्यवाही न किए जाने के कारण ₹ 35.65 करोड़ की राजस्व क्षति हुय़ी।

अत: उक्त प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

जिला नई टिहरी के निर्माण इकाइयों के द्वारा जमा रॉयल्टी का विवरण

क्रम संख्या	निर्माण इकाई का नाम	बिना e-form "MM-11" एवं e-form "J" के ही उपखनिज प्रयुक्त कर जमा की गई रॉयल्टी की धनराशि	
1	सिंचाई खंड, नई टेहरी	5055658.00	
2	सिंचाई खंड, नरेंद्र नगर, नई टेहरी	2652177.00	
3	निर्माणखंड पी0डब्लू0डी0, नई टेहरी	72241.00	
4	प्रांतीय खंड पी0डब्लू0डी0 नई टेहरी	10486089.00	
5	पेजलनिर्माण निगम,नई टेहरी		
6	जिला पंचायत, नई टेहरी		
7	PMGSY,PWD, कीर्तिनगर, नई टिहरी	4904927.00	
8	ग्रामीण अवियंत्रण सेवा नई टेहरी	1792602.00	
9	ग्रामीण अवियंत्रण सेवा, घनशाली नई टेहरी	1357508.00	
10	लघु सिंचाई खंड नई टेहरी	2242954.00	
11	अस्थाई खंड पी.डबल्यू.डी, घनशाली	7517977.00	
12	एशियन विकास बैंक खंड नई टेहरी	877.00	
13	अवस्थापना एवं पुनर्वास खंड, नई टेहरी	1244398.00	
14	निर्माण खंड पी0डब्लू0डी0, नरेंद्र नगर नई टेहरी	16519128.00	
15	PMGSY खण्ड- I नई टेहरी	9767963.00	
16	PMGSY खण्ड- II नई टेहरी	18038419.00	
17	PMGSY खण्ड- नरेंद्र नगर, नई टेहरी	6947427.00	
18	विश्व बैंक आपदा खण्ड, नई टेहरी		
19	कार्यालय प्रोजेक्ट मैनेजर, डोबरा चाँटी	531978.00	

	परियोजना,PWD नई टिहरी		
	कुल धनराशि	89132323.00	

भाग-दो "ब"

प्रस्तर-1 नियमानुसार मासिक विवरणी प्रस्तुत न करने पर अर्थदण्ड का अनारोपण ₹ 39.12 लाख।

(क) उत्तराखंड शासन औध्योगिक विकास अनुभाग-1 संख्या 1873/VII-1/16/158-ख/04टीसी; दिनांक 09 दिसम्बर, 2016 के अनुसार उत्तराखंड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण का निवारण) नियमावली,2005 यथा संशोधित नियम -13 (2) (ड़) हांट मिक्स प्लांट, रेडीमिक्स प्लांट, स्टोन क्रेशर/ स्क्रीनिंग प्लांट के स्वामी को मासिक विवरण निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत करना होगा। मासिक विवरणी प्रस्तुत न करने पर प्रति माह **₹** 50,000/- का अर्थदण्ड देय होगा।

उक्त के परीपेक्ष में कार्यालय जिला खान अधिकारी, नई टिहरी के अभिलेखो की लेखा परीक्षा में पाया कि संलग्न विवरण पत्र में उल्लिखित 8 स्टोन क्रेशर प्लांट के स्वामियों द्वारा मासिक विवरण प्रस्तुत नहीं किए गए थे। अतः उल्लिखित नियमानुसार मासिक विवरणी प्रस्तुत न करने पर **₹** 38 लाख अर्थदण्ड आरोपित कर नहीं वसूला गया है। इसे इंगित करने पर विभाग द्वारा कोई आख्या नहीं दिया गया।

(ख)उत्तराखंड उप-खनिज (परिहार) नियमावली 2001 के नियम-73 के अनुसार खनिज परिहार धारक, पूर्ववर्ती त्रैमास के सम्बन्ध में विवरणी अनुवर्ती के द्वितीय सप्ताह में प्रपत्र एम एम-12 में जिलाधिकारी और निदेशक के क्षेत्रीय कार्यालय को प्रस्तुत करेगा, पुनः उत्तराखंड औद्योगिक विकास विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं. 1033/VII-2015/146-ख/2010 देहरादून दिनांक 31-07-2015 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखंड उपखनिज (बालू, बजरी बोल्डर, ईट आदि) नीति 2015 के बिंदु सं. 6(6) तत्पश्चात संशोधित उत्तराखंड उपखनिज(बालू, बजरी, बोल्डर) चुगान नीति 2016 के बिंदु 22(5) के अनुसार मासिक विवरणी प्रस्तुत न करने पर पट्टाधारक पर प्रत्येक माह ₹ 2000/- का अर्थदण्ड अधिरोपित किया जायेगा |

उत्तराखंड शासन औद्योगिक विकास अनुभाग-1 सं. 1873/VII-1/16/158-ख़/ 04टीसी देहरादून : दिनांक:09 दिसम्बर, 2016 के नियम-11 में अतिरिक्त प्रावधान उत्तराखंड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली 2005 नियम-13(2)(ड) के अनुसार भण्डारकर्ता द्वारा मासिक विवरण प्रस्तुत न करने पर ₹2000 का अर्थदंड आरोपित किया जाने का प्रावधान है |

कार्यालय जिला खान अधिकारी, नई टिहरी के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि खनन पट्टाधारको एवं भण्डारणकर्ताओ द्वारा मासिक विवरण प्रस्तुत नहीं किये गए थे | विभाग द्वारा खनन पट्टाधारको एवं भण्डारकणर्ताओ को मासिक विवरणी जमा न करने पर नोटिस निर्गत नहीं किया गया और अर्थदंड भी अधिरोपित नहीं किया गया था| सात स्टोन क्रेशर एवं 2 खनन पट्टा धारकों पर अर्थदण्ड अधिरोपितन करने के परिणामस्वरूप ₹ 1,12,000/- (100000+12000) की राजस्व क्षति हुयी (विवरण पत्र संलग्न)|

उक्त के सम्बन्ध में लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया|

अतः प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है |

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

जनपद टिहरी के अंतर्गत स्टोन क्रेशरो की मासिक विवरणी सम्बन्धी सूची

क्रमसं.	स्टोन क्रेशर का नाम(सर्वश्री)	स्टोन क्रेशर स्वीकृति तिथि	माह जिनकी मासिक विवरणी नहीं जमा की गयी	कुल माह	अर्थदंड (₹50,000/- प्रति माह)
1	मैसर्स हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कम्पनी लि. खांडखाला	26-08-2017	09/2017से 03/2018 तक	7	350000/-
2	श्रीमती विशाला देवी, ग्राम-ओनालगाँव,तह. प्रतापनगर	18-11-2016	04/2017 से 03/2018 तक	12	600000/-
3	मैसर्स सागर स्टोन क्रेशर, ग्राम-रानीहाट, टि.ग.	15-10-2016	04/2017 से 03/2018	12	600000/-
4	भागीरथी स्टोन क्रेशर,श्री त्रिलोक सिंह रावत,ग्रम-भल्डियाना,कंडीसौड,टि.ग.	18-09-2017	10/2017से03/2018 तक	6	300000/-
5	भागीरथी स्टोन क्रेशर,ग्राम-जसपुर चक,नागराजधार नगुण,कंडिसौड	03/11/2017	04/2017 से 03/2018 तक	12	600000/-
6	भगवती एसोशिएट, ग्राम- सुपाणा,	14-10-2015	04/2017 से 03/2018 तक	12	600000/-
7	मैसर्स दुर्गा स्टोन क्रेशर,ग्राम-सुपाणा,तह.-टि.ग.	15-10-2016	04/2017 से 03/2018 तक	12	600000/-
8	मैसर्स राजश्यामा कंस्ट्रक्शन हॉट्मिक्स प्लान्ट,ग्राम-भंडाली,टि.ग.	23-12-2017	01/2018 से 03/2018	03	1,50,000

					38,00,000	

जनपद टिहरी के अंतर्गत खनिज भंडारणकर्ताओके खनिज सम्बन्धी मासिक विवरण की सूची |

क्रम.सं.	भण्डारणकर्ता का नाम(सर्वश्री/ श्रीमती)	भण्डारण स्वीकृति तिथि	माह जिनके मासिक विवरणी नहीं जमा की गयी	कुल माह	अर्थदंड(₹2000/- प्रति माह)	टिपण्णी
1	मैसर्स हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कम्पनी लि. खांडखाला	14-11-2017	12/2017 से 03/2018 तक	4	8000	मासिक विवरणी उपलब्ध नहीं
2	त्रिलोक सिंह रावत, भागीरथी स्टोन क्रेशेर्सकंडीसौंड, टिहरी	17-10-2017	11/2017 से 03/2018 तक	5	10000	मासिक विवरणी उपलब्ध नहीं
3	विरेन्द्र सिंह नेगी,भागीरथी स्टोन क्रेशेर्स कंडीसौंड,टिहरी	06-06-2016	04/2017से 03/2018 तक	12	24000	मासिक विवरणी उपलब्ध नहीं
4	भगवती एसोसिएट्स , कीर्तिनगर, टिहरी	19-09-2017	10/2017 से 03/2018 तक	6	12000	मासिक विवरणी उपलब्ध नहीं
5	दुर्गास्टोन क्रेशेर्स, चौरास, टिहरी	10/2016	11/2017 से03/2018 तक	5	10000	मासिक विवरणी उपलब्ध नहीं
6	कुंजापुरी बिल्डिंग मैटीरियल्स, नरेन्द्रनगर, टिहरी	23-09-2017	10/2017से03/2018 तक	6	12000	मासिक विवरणी उपलब्ध नहीं

7	सागर स्टोन क्रेशर, नई टिहरी	15-10-2016	04/2017 से 03/2018 तक	12	24000	मासिक विवरणी उपलब्ध नहीं
				50	1,00,000/-	

जनपदटिहरी के अंतर्गत खनिज पट्टाधारको केखनिज सम्बन्धी मासिक विवरण सूची |

क्रं.सं	पट्टाधारक का नाम(सर्वश्री/ श्रीमती)	स्वीकृति तिथि	माह जिनके मासिक विवरणी नहीं जमा की गयी	कुल माह	अर्थदंड(₹ 2000/- प्रति माह)	टिपण्णी
1	टी.एच.डी.सीइंडिया लि. भागीरथींपुरम टिहरी	23-07-2015	01/2018 से 03/2018 तक	3	6000	मासिक विवरणी उपलब्ध नहीं
2	आशारामबेलवाल	20-07-2014	07/2017 से09/2017 तक	3	6000	मासिक विवरणी उपलब्ध नहीं
				6	12,000/-	

भाग 2 (अ)

प्रस्तर-2- भाटक की वसूली न किए जाने के परिणामस्वरूप राजस्व क्षति ₹ 121.62 लाख।

(क) उत्तराखण्ड शासनादेश संख्या 1561/VII/80-ख/2016 दिनांक 30 सितंबर, 2016 उत्तराखंड उपखनिज(बालू, बजरी, बोल्डर) चुगान नीति, 2016 के नियम 8(ग) अनुसार निगमों के द्वारा राजस्व चुगान क्षेत्रों देंगे को निविदा प्रक्रिया से आवंटन हेतु कार्यवाही 21 दिन की विज्ञप्ति स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित कर की जाएगी। प्रथम विज्ञप्ति के उपरांत चुगान क्षेत्रों केआवंटन न होने पर दूसरी विज्ञप्ति एक सप्ताह के लिए प्रकाशित की जाएगी। दूसरी विज्ञप्ति के उपरांत भी यदि चुगान क्षेत्र निविदा पर आवंटित नहीं हो पाता है तो उस दशा में चुगान का कार्य स्वयं निगम के द्वारा किया जाएगा। यदि शासन द्वारा स्वीकृत खनन क्षेत्रों में गढ़वाल मण्डल विकास निगम के द्वारा यथा समय समर्पण किया जाता तो उत्तराखण्ड उपखनिज (बालू, बजरी, बोल्डर) चुगान नीति,2016 नियम 9 के अनुसार आवंटित कर राजस्व प्राप्त की जाती। उक्तलिखित नीति के नियम 16 के अनुसार पट्टाधारक के द्वारा पट्टा धनराशि/अपरिहार्य भाटक या रॉयल्टी की धनराशि का भुगतान समयांतर्गत न किए जाने की दशा में बकाया धनराशि पर 24% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज लिया जाएगा। उत्तराखंड शासन औधौगिक विकास अनुभाग-1 संख्या 211/VII-1/24-ख/2007 दिनांक 26 फरवरी, 2016 के अनुसार प्रति एकड़ वार्षिक अपरिहार्य भाटक ₹80000.00 प्रति एकड़ प्रति वर्ष निर्धारित है। पूर्व में वार्षिक अपरिहार्य भाटक ₹ 40000.00 प्रति एकड़ प्रति वर्ष निर्धारित था।

कार्यालय जिला खान अधिकारी नई टिहरी के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि गढ़वाल मण्डल विकास निगम को वर्ष 2013 से 2016 तक कुल 21 खनन क्षेत्र शासन के द्वारा आवंटित किए गए थे, जिसमें अभिलेखानुसार मात्र 09 खनन क्षेत्रों में खनन कार्य किया गया था। शेष आवंटित 12 खनन क्षेत्रों में खनन कार्य किया जाने या समर्पण किए जाने का अभिलेखों में कोई साक्ष्य नहीं पाया गया । इस प्रकार स्वीकृत खनन क्षेत्रो पर खनन कार्य न कराये जाने के कारण उक्त नियमानुसार गढ़वाल मण्डल विकास निगम से स्वीकृत खनन क्षेत्रों पर निम्नानुसार वार्षिक भाटक **₹ 1,20,10,400/-**

वसूला जाना अपेक्षित था। अतः गढ़वाल मण्डल विकास निगम से भाटक की वसूली न किए जाने के परिणामस्वरूप **₹ 120.10** लाख की हानि हुई है। इस सम्बन्ध में खान अधिकारी द्वारा जिलाधिकारी टिहरी गढवाल को समर्पित किये गए पट्टो के पट्टाधारको से रायल्टी/ भाटक की वसूली हेतु दिनांक 18-05-2018 को पत्र लिखा गया था |

विभाग के संज्ञान में लाये जाने पर विभाग द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया |

उत्तराखण्ड शासन के औधैगिक विकास अनुभाग -1 संख्या 211/VII -1/24-ख/2007/देहरादून 26 फरवरी 2016 के द्वारा नदी तल में उपलब्ध बालू या मोरम या बजरी या बोल्डर या इनमें से कोई भी मिली जुली अवस्था में होने पर ₹ 80000/- प्रति एकड़ प्रति वर्ष की दर से डेड रेन्ट देय है इसी क्रम में उत्तराखण्ड शासन के औधैगिक विकास अनुभाग -1 संख्या 1561/ VII -1/80-ख/2016 देहरादून 30 सितम्बर 2016 के बिन्दु संख्या 15 पर स्पष्ट किया गया है पट्टाधारक के द्वारा पट्टा धनराशि/अपरिहार्य भाटक की धनराशि का भुगतान निर्धारित लेखा शीर्षक में पट्टा विलेख में निर्धारित मासिक किश्तों में निर्धारित समायान्तर्गत किया जायेगा, प्रतिबन्ध यह होगा कि निकासी की रायल्टी या पट्टा धनराशि / अपरिहार्य भाटक की धनराशि जो भी अधिक हो देय होगा।

कार्यालय जिला खान अधिकारी नई टिहरी के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि विभाग द्वारा वर्ष 2016-17 में गढ़वाल मण्डल विकास निगम से 09 खनन क्षेत्रों में खनन कार्य करवाया गया था । जिसमें 2 खनन क्षेत्रों पर अपरिहार्य भाटक की धनराशि से रायल्टी कम निर्धारित की गयी थी। जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1,52,178/- की राजस्व क्षति हुई।

विभाग के संज्ञान में लाये जाने पर विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में कोई टिप्पणी नहीं की गयी।

अत: उक्त प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

क्रम सं.	लांट का नाम	क्षेत्रफल हेक./एकड़ (1हेक्टेअर= 2.471 एकड़)	ई0आई0ए0 के अनुसार वार्षिक मात्रा (टन में)	रेपिड सर्वे के अनुसार वार्षिक मात्रा (टन में)	उपखनिज की निकासी मात्रा (टन में)	उपखनिज की निकासी मात्रा (घन मीटर)	जमा की गयी रॉयल्टी (₹ में)	अपरिहार्य भाटक की धनराशि (₹ में)	कम जमा की गयी धनराशि (₹ में)
2	बागवान	12.988	30000	21024	20000	44000	980000	(1039040)	59040
3	नैनगाव	2.328	13275	3768	1900	4180	93102	(186240)	93138
							योग		**1,52,178**

कृपया गढ़वाल मण्डल विकास निगम से संबन्धित खनन लाटों का विवरण

क्रम सं. (1)	खनन लॉट का नाम (2)	खनन क्षेत्रफल हेक्टेयर में(3)	आवंटन की तिथि(4)	खनन पट्टे के समाप्ति की तिथि(5)	क्षेत्रफल एकड़ में (6)	प्रति एकड़ वार्षिक अपरिहार्य भाटककी धनराशि 25/02/2016 तक रु. 40,000.00 और 26/02/2016 से 80,000.00	कुल वार्षिक भाटक (₹)
1.	ग्राम दुबड़ा	0.85	31/12/2013	30/12/2018	2.1	40000x2.1x3=252000 80000x2.1x2=336000	588000
2.	ग्राम भरवाकाटल	01.44	31/12/2013	30/12/2018	3.56	40000x3.56x3=427200 80000x3.56x2=569600	996800
3.	कांडी तल्ली	0.7	31/12/2013	29/12/2018	1.73	40000x1.73x3 =207600 80000x1.73x2=276800	484400
4.	कांडी मल्ली	0.3	18/12/2013	17/12/2018	0.74	40000x0.74x3 =88800 80000x.74x2=118400	207200
5.	ग्राम चिफल्टी	01.68	25/01/2014	24/01/2019	4.15	40000x4.15x3=498000 80000x4.15x2=664000	1162000
6.	ग्राम ग्वाली डांड	0.45	25/10/2013	24/10/2018	1.11	40000x1.11x3=133200 80000x1.11x2=177600	310800
7.	ग्राम टटौर सिलवाड़ (Chifaldh)	01.01	30/12/2013	29/12/2018	2.49	40000x2.49x3=298800 80000x2.49x2=398400	697200
8.	ग्राम	06.53	04/07/2014	03/07/2019	16.13	40000x16.13x2=1290400	3871200

	तैल्याकाटल					80000x16.13x2=2580800	
9.	ग्राम झोटी उर्फ कोटी	01.55	18/12/2013	17/12/2018	3.83	40000x3.83x3=459600 80000x3.83x2=612800	1072400
10.	ग्राम टटौर सिलवाड़(Aatar)	01.006	30/12/2013	29/12/2018	2.48	40000x2.48x3=297600 80000x2.48x2=396800	694400
11.	ग्राम भूटगांव लातूर	02.17	15/01/2016	14/01/2021	5.36	40000x5.36x1=214400 80000x5.36x2=857600	1072000
12.	ग्राम बयाड गाँव जसपुर	01.73	19/01/2016	18/01/2021	4.27	40000x4.27x1=170800 80000x4.27x2=683200	854000
योग							**1,20,10,400**

भाग 2 (ब)

प्रस्तर:-2- रैपिड सर्वे द्वारा निर्धारित उपखनिज की मात्रा से अधिक निकासी पर अर्थदण्ड का अनारोपण

उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण का निवारण) नियमावली, 2005 के संशोधन दिनांक 13 नवंबर,2016 के अनुसार अवैध खनन पर **₹** 2,00,000/- अर्थदण्ड और उपखनिज परिवहन करने वाले वाहन के प्रकार के अनुसार **₹** 5,000 से 50,000/-तक अर्थदण्ड एवं परिवहन की जा रही उपखनिज की मात्रा पर रॉयल्टी का पाँच गुणा अर्थदण्ड आरोपित कर वसूला जाने का प्रावधान था।

कार्यालय जिला खान अधिकारी नई टिहरी के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि विभाग द्वारा वर्ष 2016-17 में गढ़वाल मण्डल विकास निगम से 09 खनन क्षेत्रों में खनन कार्य करवाया गया था । जिसमें रैपिड सर्वे द्वारा निर्धारित उपखनिज की मात्रा से 5 खनन क्षेत्रों में उपखनिजों की निकासी 11599.19 घ.मी. (5272.36 टनX2.2) अधिक की गई थी,(विवरण संलग्न है)। रैपिड सर्वे से अधिक मात्रा में उपखनिज खनन करना उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन, भंडारण) नियमावली,2005 संशोधित 2016 के अनुसार अवैध खनन की श्रेणी में आता है। जिस पर रायल्टी का पाँच गुना अर्थदण्ड आरोपित किया जाना था जो कि विभाग द्वारा आरोपित नहीं किया गया।

विभाग के संज्ञान में लाये जाने पर विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में कोई टिप्पणी नहीं की गयी।

अत: उक्त प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

रेपिड सर्वे से अधिक मात्रा में उपखनिज खनन का विवरण

क्रम सं.	लॉट का नाम	क्षेत्रफल हेक./एकड़ (1हेक्टेपर= 2.471 एकड़)	ई0आई0ए0 के अनुसार वार्षिक मात्रा (टन में)	रैपिड सर्वे के अनुसार वार्षिक मात्रा (टन में)	उपखनिज की निकासी मात्रा (टन में)	रैपिड सर्वे में निश्चित मात्रा से अधिक निकासी का विवरण (टन में)	उपखनिज की निकासी मात्रा (घन मी. में)	रॉयल्टी
1	ग्वालिडांडा-2	1.442/ 3.563	20,000	8479	8498.74	19.74	18697.23	416500
2	दुबड़ी	0.165/ 0.408	4703	1584	4697.50	3113.50	10334.50	230443
3	जुयालगढ़	1.400/ 3.459	30800	20160	20523.12	363.12	45150.86	1006136
4	भल्टी	1.181/ 2.918	7800	4724	6500	1776	14300	254800
					योग	**5272.36**		

भाग 2(ब)

प्रस्तर:3- अवैध खनन में पकडे गए वाहनो से अर्थदण्ड ₹75.90 लाख की वसूली न किया जाना।

उत्तराखंड शासन ,औद्योगिक विकास विभाग के पत्र संख्या 1725/VII-1/16/158-ख/2004,देहरादून: दिनांक 13 नवम्बर 2016 की अधिसूचना के अनुसार प्रदेश में खनिजो के परिवहन हेतु वाहनो की भार क्षमता के अनुसार अवैध परिवहन पर आरोपित की जाने वाली धनराशि को शमन किए जाने के सम्बंध में उत्तराखंड खनिज (अवैध खनन,परिवहन एव भंडारण का निवारण)(संशोधन) नियमावली 2016 के नियम 13 के उप नियम (2) में खंड (ख) में प्रावधान किया गया है|

कार्यालय जिला खनन अधिकारी टिहरी की लेखापरीक्षा के दौरान अवैध खनन, परिवहन, भंडारण से सम्बंधित पत्रावली की जांच में पाया कि वर्ष 2017-18 में जिला प्रशासन के राजस्व अधिकारियो के द्वारा अवैध खनन परिवहन, भंडारण के प्रकरणो में उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार ₹ 75.90 लाख अर्थदंड (सूची संलग्न) आरोपित कर वसूली के आदेश जारी किये गये थे, लेकिन वसूली आदेशो के सापेक्ष कितनी धनराशि वसूली की गई, इसका अभिलेखो में कोई साक्ष्य उपलब्ध नही है, जिसका विवरण निम्न प्रकार है:-

अवैध खनन में पकडे गए वाहनों की सूची

क्रम	व्यक्ति का नाम	वसूली के आदेश	अर्थदण्ड की

संख्या		की तिथि	धनराशि (₹ में)
1	श्री चंदन सिंह,पुत्र अमीचंद,ग्राम-जौलंगी,टि.ग.	30.05.2017	267375
2	श्री विरेंद्र सिंह राणा,पुत्र-महेंद्र सिंह राणा,ग्राम-अलेरु,टि.ग.	30.06.2017	754400
3	श्री विजेंद्र सिंह रावत,पुत्र-मंगल सिंह,ग्राम-बेरगणी,टि.ग.	07.07.2017	307800
4	श्री संदीप पवार पुत्र-चंदन सिंह,मसूरी रोड,चम्बा,टि.ग.	17.10.2017	247500
5	श्री मकान सिंह,पुत्र-सदर सिंह,ग्राम-बुडोगी.टि.ग.	17.10.2017	481600
6	श्री गुरुप्रसाद भट्ट एवँ परशुराम खण्डूरी, टि.ग.	09.10.2017	488750
7	श्री गणेश डोभाल,पुत्र-रामप्रसाद,ग्राम-हडगी,टि.ग.	27.11.2017	232340

8	श्री परिपूरणानंद,पुत्र-परमानंद,ग्राम-पिलखी,टि.ग.	30.06.2017	203850
9	श्री धन सिंह,पुत्र-श्याम सिंह,ग्राम-नैल,टि.ग.	30.06.2017	207700
10	श्री दिनेश कुमाई,पुत्र-उम्मेद सिंह,ग्राम-बहेडा,टि.ग.	30.06.2017	215400
11	श्री विनोददास एवम श्री मोहनदास,पुत्र-बिछनदास,ग्राम-पिलखी,टि.ग.	30.06.2017	201925
12	श्री कुंवर सिंह गुनसोला,पुत्र-जीत सिंह ,ग्राम-छोलगाव,टि.ग.	30.06.2017	215400
13	श्री धनपाल सिंह गुनसोला पुत्र सौणू ग्राम बुड्कोट,टि.ग.	30.06.2017	207700

14	श्री रामकृष्ण पुत्र-सुदामा,ग्राम-रौंसाल,टि.ग.	30.06.2017	206160
15	श्री धनपाल सिंह गुनसोला पुत्र सौणू,ग्राम-बुड्कोट,टि.ग.	30.06.2017	207700
16	शक्ति प्रसाद पुत्र रामलाल	30.06.2017	207700

	एवम बद्री प्रसाद पुत्र वाचस्पति ग्राम-पिलखी,टी.ग.		
17	श्री विकास सेमवाल पुत्र आशाराम ,निवासी-घनसाली,टि.ग.	30.06.2017	215400
18	श्री बीर सिंह पुत्र नरोत्तम ,ग्राम-रौंसाल,टि.ग.	30.06.2017	206160
19	श्री रामकृष्ण पुत्र सुदामा,ग्राम-रौंसाल,टि.ग.	30.06.2017	206160
20	श्री धर्मलाल,सुरेशलाल,संतोषलाल पुत्रगण-बालेश्वर,ग्राम-गस्या पट्टी उपली रमोली,थाति कठूड,टि.ग.	07.10.2017	1033500
21	श्री कुलदीप कुमार,सहा.अभि.लो.नि.वि. श्रीनगर एवम श्री मुकेश सकलानी,सह.अभि.लो.नि.वि. श्रीनगर गढवाल	15.11.2017	647700
22	श्री मातवर सिंह पुत्र बलदेव सिंह ग्राम-जीवन वाला,ऋषिकेश	05.12.2017	209425
23	श्री राम सिंह पुत्र साहब सिंह	05.12.2017	207975

	ग्राम-काण्डी,प्रतापनगर		
24	श्री भीम सिंह पुत्र हरक सिंह ग्राम-गुमानीवाला एवम श्री उमेद सिंह पुत्र पूरण सिंह ग्राम भट्टोवाला	05.12.2017	210875
	कुल योग		**7590495**

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया और न ही विभाग जमा धनराशि का साक्ष्य उपलब्ध करा सका |

अत: राजस्व क्षति ₹ 75.90लाख का प्रकरण उच्चाधिकारियो के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-2(ब)

प्रस्तर-04- लेखा परीक्षा को अभिलेख उपलब्ध न कराया जाना।

कार्यालय जिला खान अधिकारी नई टिहरी के अभिलेखों की लेखापरीक्षा के दौरान स्टोन क्रेशर, मोबाइल स्टोन क्रेशर संचालक, भण्डारण रिटेल भण्डारण/ संचालक की पत्रावलियों की सूची उपलब्ध करायी गयी थी (सूची संलग्न) | सूची में अंकित, मोबाइल स्टोन क्रेशर (ऍम. ज़ी. कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, अधिशासी अभियंता राष्ट्रीय राजमार्ग खंड लो.नि.वि. श्रीनगर मालाखुन्ति, अधिशासी अभियंता राष्ट्रीय राजमार्ग खंड लो.नि.वि. श्रीनगर, महड) की पत्रावलियां लेखा परीक्षा दल को उपलब्ध नहीं करायी गयी| स्टोन क्रेशर, भण्डारण से सम्बंधित पत्रावलियों में कई महत्वपूर्ण सूचनाये यथा मासिक विवरणी, वार्षिकविवरणी, नवीनीकरण संबधी आदेश आदि नहीं थे|गढवाल मंडल विकास निगम लिमिटेड के आवंटित खनन खेत्रों से सम्बंधित कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये थे |

उपरोक्त के सम्बन्ध में लेखा परीक्षा द्वारा पूछे जाने पर विभाग में एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी द्वारा मौखिक रूप से बताया गया कि समस्त मूल अभिलेख कलेक्ट्रेट बाबू के पास है इस कार्यालय में उपलब्ध अभिलेख प्रस्तुत है |

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है |

1.स्टोन क्रेशर

क्रम सं0	संचालक का नाम
1	मैसर्स राजश्यामा कस्ट्रक्शन्स प्रा. लिग्राम- भडोली
2	राणा स्टोन क्रेशर , श्रीमती विशाला देवी स्व. श्री मोर सिंह राणा ग्राम- अनोल गाँव प्रतापनगर,टिहरी
3	रुद्रा स्टोन क्रेशर, हिम्मत सिंह बिष्ट पुत्र श्री जोत सिंह बिष्ट , ग्राम- धरवाल, कंडीसोड़
4	सागर स्टोन क्रेशर मैसर्स शैलेंद्र उनियाल, ग्राम- रानीहाट चौरास, तहसील- देवप्रयाग, टिहरी
5	भागीरथी स्टोन क्रेशर, वीरेन्द्र सिंह नेगी, ग्राम- जसपुर चक्र, तहसील- कंडीसोंड, टिहरी
6	मैसर्स दुर्गा स्टोनक्रेशर सुपाणा, पट्टी- चौरास, टिहरी
7	मैसर्स भगवती एसोसिएट्स, श्रीज़ी. पी. पेन्यूली, ग्राम- सुपाणा चौरास, देवप्रयाग, टिहरी
8	हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी लि , ग्राम- देवल, तहसील - घनसाली, टिहरी
9	भागीरथी स्टोन क्रेशेर्स , त्रिलोक सिंह रावत तहसील - कंडीसोंड

2- मोबाइल स्टोन क्रेशर संचालक

क्रम सं0	संचालक का नाम
1	ऍम. ज़ी. कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड
2	मैसर्स राजश्यामा कस्ट्रक्शन्स प्रा. लिग्राम- भडोली
3	अधिशासी अभियंता राष्ट्रीय राजमार्ग खंड लो.नि.वि. श्रीनगर, मालाखुन्ति
4	अधिशासी अभियंता राष्ट्रीय राजमार्ग खंड लो.नि.वि. श्रीनगर, महड
5	राष्ट्रीय राजमार्ग खंड लो.नि.वि. श्रीनगर,भडोली

3.**भण्डारण/रिटेल भण्डारण संचालक**

क्रम सं0	संचालक का नाम
1	वीरेन्द्र सिंह रावत
2	अजय उनियाल पुत्र श्री हरिस्वरूपउनियाल
3	शिवस्वरूप उनियाल
4	श्रीऋषिराम कुड़ीयाल,ग्राम- डालवाला ,तहसील नरेन्द्रनगर , टिहरी
5	श्री वीरेन्द्र सिंह नेगी मैसर्स भागीरथी

6	श्रीसतीश पांथरी मैसर्स कुंजापुरी मैटेरियल्स सप्लायर्सडालवाला नरेन्द्रनगर टिहरी
7	श्रीमती विशाल स्टोन क्रशर, ग्राम- ओनाल गाँव, प्रतापनगर, टिहरी
8	टी.एच.डी.सी.

भाग-III

राजस्व से संबंधित विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण : प्रथम लेखापरीक्षा

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
DMO/137/2017-18	1,2,3	1,2,3,4,5,6

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरो की अनुपालन आख्या : विभाग द्वारा अनुपालन प्रस्तुत नहीं किया गया है।

व्यय से संबन्धितविगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण: व्यय नहीं किया जाता है।

भाग-IV

इकाईकेसर्वोत्तमकार्य

(1) राजस्वसेसंबंधितइकाईद्वारा**निष्पादित अच्छे कार्य-टिप्पणी शून्य**

(2) व्ययसेसंबंधितइकाईद्वारा**निष्पादित अच्छे कार्य-टिप्पणी शून्य**

भाग-V

<u>आभार</u>

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **जिला खनन अधिकारी, नई टिहरी** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये:

2.सतत्अनियमितताएःशून्य

3.लेखापरीक्षाअवधिमेंनिम्नलिखितअधिकारियोंद्वाराकार्यालयाध्यक्षकाकार्यभारवहन कियागया

क्रमसं0	नाम	पदनाम
(i)	श्री वी.के. सिंह	जिला खान अधिकारी

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **जिला खनन अधिकारी, नई टिहरी** को

इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उपमहालेखाकार/उपमहालेखाकार (राजस्वक्षेत्र) को प्रेषित कर दी जाए।

लेखापरीक्षाअधिकारी/राजस्व